मनोरंजन कर विभाग उत्तर प्रदेश

8-A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meeting are accessible for public

मनोरंजन सम्बन्धी प्रकरणों पर अपेक्षित सुझाव हेतु गठित विभिन्न समितियों का विवरणः–

(1) शासनादेश संख्या 2288/11–क.नि.–6–2002–बीस.एम. (47)/2000 दिनांक 02 नवम्बर,2002 के द्वारा सिनेमा व्यवसाय से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय फोरम एवं जिला स्तरीय फोरम का गठन किये जाने की व्यवस्था की गई है। इन फोरम का संयोजक मनोरंजन कर विभाग का एक अधिकारी होगा जो आयुक्त,मनोरंजन कर अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय फोरम की बैठकें प्रत्येक दो माह में एक बार मनोरंजन कर आयुक्त,उ0प्र0 की अध्यक्षता में सम्पन्न होती है। तथा इसी प्रकार जिला स्तर पर आयोजित बैठकें जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न होती है। राज्य स्तरीय एव जनपद स्तरीय फोरम में निम्नलिखित व्यक्तियों की सहभागिता होती है।

1– सिनेमा स्वामियों के राज्य अथवा जनपद स्तर के संगठन के दो प्रतिनिधि।

2– सी0डी0 लाईब्रेरी स्वामियों के राज्य अथवा जनपद स्तर के संगठन के दो प्रतिनिधि

3– केबिल आपरेटर के राज्य अथवा जनपद स्तर के संगठन के दो प्रतिनिधि

4– मोशन पिक्चर एसोसिएशन के राज्य अथवा जनपद स्तर के संगठन के दो प्रतिनिधि

5– राज्य स्तर पर मनोरंजन कर आयुक्त द्वारा नामित तथा जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सिनेमा के दर्शकों, सी0डी0लाईब्रेरी के उपभोक्ताओं तथा केबिल कनेक्शन धारकों के एक–एक प्रतिनिधि।

(2) केबिल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1995 के अन्तर्गत कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के उल्लंघन पर देख–रेख करने एवं प्राप्त होने वाली शिकायत/अनियमितता का अनुश्रवण करने हेतु भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मत्रालय के आदेश संख्या–2301/सात–2003–वी0सी0–111 दिनांक 06.09.2005 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जनपदों में 'जिला देखरेख समिति' **(District Monitoring Committee)**गठित की गयी है जिसमें निम्न सदस्य हैंः–

1. जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. जिला जनसम्पर्क अधिकारी,	सदस्य
4. जनपद के एक महिला विद्यालय के प्रधानाचार्य	सदस्य
5. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित बाल कल्याण के लिये कार्यरत प्रमुख गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य

6. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित महिला कल्याण हेतु
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि सदस्य

7. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक–एक
शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक/समाज शास्त्री सदस्य

यह समिति सुनिश्चित करती है कि जनपद esa केबिल टी0वी0 द्वारा प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम केबिल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1995 के अन्तर्गत प्रोग्राम कोड तथा विज्ञापन कोड के अनुसार प्रसारित किये जा रहे हैं।